प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 21.11.2022

दुकान के मालिक का लाखो रुपया धोखाधड़ी से गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 978/2022 धारा 408 भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर से सम्बन्धित अभियुक्त अंकुश पासवान पुत्र रामरक्षा पासवान निवासी कुलई पोस्ट अमटोरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण :-

वादी मुकदमा की टायर की दुकान है। दुकान पर नियुक्त कर्मचारी अंकुश पासवान पुत्र रामरक्षा पासवान निवासी कुलई पोस्ट अमटोरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर करीब डेढ वर्षो से काम करता है इसके अलावा दो कर्मचारी और वहा पर काम करते है। दुकान पर ग्राहको की काफी भीड़ रहती है दुकान मालिक द्वारा यदि ग्राहको का पैसा तकनिकी कारणो से दुकान के खाते में नही आ पाता था तो मालिक द्वारा अंकुश पासवान को बताया जाता था कि अपने खा में पे0टी0एम0 के माध्यम से ले ले और उसको दुकान के खाते में डाल दे। अंकुश पासवान द्वारा शुरुआती दिनों में इमानदारी से जो भी पैसा उसके खाते में खरीदारी का रहता था उसको मालिक के खाते मे डाल देता था। पे0टी0एम0 के कार्य में निपूर्ण हो जाने पर माह अप्रैल 2022 से अंकुश पासवान द्वारा जब ग्राहको का पैसा पे0टी0एम0 से अपने खाते में लिया जाता था तो वह मालिक के खाते मे तो भेज देता था लेकिंन रिफण्ड के माध्यम से पुनः उस पैसे को अपने खाते में ले लेता था। यह प्रक्रिया उसके द्वारा लगातार करते हुए करीब 08 लाख 81 हजार रुपया दुकान का गबन कर लिया गया जब दुकान के मालिक को शंका हुई कि बार बार मेरे मोबाइल पर पैसा रिफण्ड होने का मैसेज आता है तो उन्होनें अपने एकाउण्टेन्ट से इस विषय में पूछा तो एकाउण्टेन्ट को भी जानकारी न होने के कारण बताया गया कि यह पैसा वापस हो जायेगा। इसी कारण करीब 08 लाख 81 हजार रुपया अंकुश पासवान द्वारा अपने खाते में रिफण्ड कर लिया गया। जब इनके द्वारा अपने दुकान के विक्री व पैसो का मिलान किया गया तो पैसो मे अन्तर पाये जाने पर उन्होने पे0टी0एम0 के एकाउण्टेन्ट से जांच कराया तो जानकारी हुई कि अंकुश पासवान द्वारा पैसे का गबन किया गया है तब वादी मुकदमा द्वारा थाना कैण्ट पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियुक्त अंकुश पासवान को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उसने यह बात स्वीकार किया कि करीब 08 लाख 81 हजार रुपया उसने रिफण्ड के माध्यम से गबन किया है और इसके द्वारा उसी पैसो से डी0जे0 का सामान करीब 06 लाख का खरीदा गया है तथा और पैसा अपने शौक मे खर्च किया है। उपरोक्त खरिदा हुआ डी0जे0 का समस्त सामान अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस कब्जा मे लिया गया है।

अभियुक्त का नाम, पता व अपराधिक इतिहास :–

अंकुश पासवान पुत्र रामरक्षा पासवान निवासी कुलई पोस्ट अमटोरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0- 978/2022 धारा 408,411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

<u>बरामदगी :-</u> डी0जे0 का सामान- (तीन स्पीकर बड़ा DRX, , एक अदद एमप्लीफायर PBT 701, हार्न स्टैंड , 7 अदद हार्न, एक अदद इलेक्ट्रानिक नेम बोर्ड आदि)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 विवेक गौड़ थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 आनन्द कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर